दिनांक 09.06.2017 को अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड कपकोट (DEAC) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितः–

1–श्री सत्येन्द्र नाथ त्रिपाठी उप प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर।
2–डा0 आनन्द बसवाल चिकित्साधिकारी रा0 एलो0 चिकित्सालय, देवनाई।
3–श्री नारायण दत्त पाण्डे वन क्षेत्राधिकारी, बागेश्वर।
4–श्री हरीश चन्द्र पाण्डे प्रभारी अभियन्ता जिला पंचायत, बागेश्वर।
5–श्री डी0के0 जोशी अभियन्ता पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड , हल्द्वानी।
6–श्री सुनील कुमार सहायक अभियन्ता पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड , हल्द्वानी।
7–श्री बी0सी0 नैनवाल अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड, बागेश्वर।
8–श्री रवि सिंह नेगी, सहा0 भू–वैज्ञानिक,/खान अधिकारी बागेश्वर।
9–श्री भुवन जोशी सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
10–श्री चन्दन सिंह बनकोटी प्रशासनिक अधिकारी जिला कार्यालय, बागेश्वर।
11–श्री भुवन जोशी कन्सलटेंट।
12–श्री पूरन सिंह गड़िया प्रतिनिधि श्री ठाकुर सिह गडिया पुत्र मदन सिह गडिया।
13–श्री सतीश कुमार कन्सलटेंट।
14–श्री यू0के0शुक्ला एन0एस0 कारपोरेशन ।
15–श्री पी0एम0 जोशी कन्सलटेंट।
16–श्री तारा सिंह परिहार।
17–श्री अखिल कुमार कन्सलटेंट।
18–श्री एम0बी0 दोसाद कन्सलटेंट।
19–श्री बसंन्त सिंह निवासी ग्राम उडियार बागेश्वर।
20–श्री दीपक पााण्डे कन्सलटेंट।
21–श्री विजय शर्मा कन्सलटेंट।
22–श्री कैलाश साही कन्सलटेंट।
23–श्री मनोज साह पुत्र सुन्दर लाल साह गग्रम सुरकालीगॉव।
24–श्री पंकज भट्ट पुत्र नारायण दत्त भट्ट ग्राम आरतोला पो0 मिरतोला अल्मोडा।
25–श्री मनीष परिहार पुत्र जवाहर सिंह परिहार निवासी ग्राम असौ पो0 असौ।
26–श्री अखिलेश कुमार कन्सलटेंट।
27–श्री दिवान सिंह पपोला पुत्र त्रिलोक सिंह पपोला ग्राम पपाोली पो0 उडियार।
28–श्री हरीश कैंथोला कन्सलटेंट।

कार्यवृत्त

1. सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में विगत रोकी गई पत्रावली श्री आनन्द सिंह कालाकोटी के सम्बन्ध में चर्चा की गयी, जिसमें आवेदक तथा उनके द्वारा नामित कन्सलटेंट उपस्थित नही हुए। उक्त प्रकरण पर अध्यक्ष महोदय द्वारा आवेदक एवं कन्सलटेंट को आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से आने हेतु सम्बधितों को सूचित करने के निर्देश दिये गये, चूँकि दिनांक 04.11.2016 को प्रेषित पॉच प्रकरणों से

चार प्रकरणों 1– श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, 2–श्री उमेश चन्द्र पाण्डे,3– श्री हृदेश कुमार साह,4–मैसर्स रूट माईन्स गडेरा पर संस्तुति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA) को प्रेषित की जा चुकी है। तत्पश्चात बैठक में उपस्थित आवेदकों/कन्सलटेंटों की पत्रावलियों पर नियमानुसार विचार विर्मश किया गया ।

2. समिति द्वारा श्री दिनेश सिंह गडिया पुत्र जोगा सिंह गडिया निवासी ग्राम करूली द्वारा नामित कन्सलटेंट की उपस्थिति में आवेदित क्षेत्र ग्राम उडियार में 4.667 है0 भूमि पर खनन कार्य किये जाने के लिए पर्यावरणीय कार्ययोजना का अवलोकन किया गया जिस पर अवलोकन उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये खनन क्षेत्र के आस–पास गधेरे व नदी की दूरी एवं मोटर मार्ग की दूरी माईनिंग प्लान में दर्शाये जायें।माईनिंग प्लान में गधेरों के किनारों पर रिटनिंगवाल बनाये जाने के साथ समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि मजदूरो की रहने एवं पानी की व मोबाईल शौचालय की व्यवस्था की जाय । खनन क्षेत्र के मध्य मिनरल्स का ढुलान किया जायेगा तथा उससे होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु या तो कच्चे मार्ग को पक्का किया जाय या उक्त मार्ग में टैंकर से पानी का छिडकाव किया जाय।

3. समिति द्वारा श्री ठाकुर सिंह गडिया पुत्र मदन सिंह गडिया निवासी ग्राम किरोली के प्रतिनिधि श्री पूरन सिंह गडिया एवं नामित कन्सलटेंट की उपस्थिति में ग्राम किरोली में 2.231 है0 भूमि खनन कार्य किये जाने के लिए पर्यावरणीय कार्ययोजना का अवलोकन किया गया जिस पर अवलोकन उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा नाले पास जो खनिज सामग्री को सुरक्षित स्थान पर रखे जाने व नाले के आस पास रिटनिंगवाल, प्लान में दर्शाने उपरान्त 15 दिन (दो सप्ताह) के अन्दर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिय गये,ताकि अगली बैठक में निर्णय लिया जा सके।

4. समिति द्वारा श्री देवेश श्रीवास्तव पुत्र कमलेश श्रीवास्तव निवासी कोलकता (पश्चिम बंगाल) द्वारा नामित कन्सलटेंट आवेदित क्षेत्र रीमा क्यूटी में 2.938 है0 क्षेत्र में पर्यावरणीय कार्ययोजना का अवलोकन किया गया जिस पर अवलोकन उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बधित को मजदूरों के लिए शौचालय की व्यवस्था, एवं रेस्ट वाटर डिसचार्ज, सैप्टिक टैंक माईनिंग प्लान में दर्शाए जाय।

5. समिति के द्वारा श्रीमती कंचन बंसल पत्नी अशोक बंसल द्वारा नामित कन्सलटेंट की उपस्थित में ग्राम टोटीगाड में2.848 है0 भूमि पर खनन कार्य के लिए पर्यावरणीय कार्ययोजना का अवलोकन किया गया जिस पर अवलोकन उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बधित को निर्देश दिये गये कि आवेदित क्षेत्र से मोटर मार्ग तक 01 कि0मी0 का कच्चा मार्ग दर्शाया गया था जिस में अध्यक्ष द्वारा यह निर्देश दिये गये कि सम्भवतया कच्चा मार्ग को पक्का सी0सी0 मार्ग बनाने अथवा उस में पानी का छिडकाव भी कराना होगा।

6. समिति के द्वारा श्रीमती गीता भौर्याल पत्नी श्री भगत सिंह भौर्याल निवासी ग्राम सैज के द्वारा नामित कन्सलटेंट की उपस्थिति में आवेदित क्षेत्र ग्राम टिटोली के 4.698 है0 क्षेत्र पर खनन कार्य करने के लिए पर्यावरणीय कार्ययोजना का अवलोकन किया गया जिस पर अवलोकन उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बन्धित को निर्देश दिये गये विह सभी निर्देशों को ई0एम0पी0 में सम्मिलित कर प्रस्तुत करें।

7. समिति के द्वारा मैर्सस अम्बा माईन्स एण्ड मिनरल्स निवासी हरि निकेतन नबाबी रोड हल्द्वानी जनपद नैनीताल द्वारा नामित कन्सलटेंट की उपस्थिति में ग्राम औलियागॉव के 2.06 है0 खनन कार्य करने के लिए पर्यावरणीय कार्य योजना का अवलोकन किया गया जिस पर अवलोकन उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बधित को एक सप्ताह का समय देते हुए यह निर्देश दिये गये कि मजदूरों के पेयजल हेतु वाटर व टैंकर की व्यवस्था करनी होगी साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि कच्चा रोड हेतु पानी का छिडकाव व मोबाईल टॉयलेट बनाये जाने के निर्देश दिये गये

8. समिति के द्वारा श्री खड़क सिंह दफौटी पुत्र कुन्दन सिंह दफौटी निवासी ग्राम नायल द्वारा नामित कन्सलटेंट की उपस्थिति में ग्राम चौनी के 4.944 है0 भूमि पर खनन कार्य के लिए पर्यावरणीय कार्ययोजना का अवलोकन किया गया जिस पर अवलोकन उपरान्त सम्बन्धित को अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि माईनिग प्लान में कोई भी वार्टर सोर्सेज व सीवेज की ब्यवस्था को नही दर्शाया गया है। अस्पताल की दूरी भी दर्शायी जाय।

9. समिति के द्वारा श्री मंगल सिंह निवासी ग्राम ढपटी द्वारा नामित कन्सलटेंट की उपस्थिति में ग्राम जसपुर में 4.27 है0 भूमि पर खनन कार्य के लिए पर्यावरणीय कार्ययोजना का अवलोकन किया गया जिस पर अवलोकन उपरान्त अध्यक्ष महोदय सम्बन्धित को यह निर्देश दिये गये कि कच्ची रोड में पानी टैकर से पानी का छिडकाव करेंगे साथ ही स्कूल की दूरी भी दर्शायी जाय।,

10. समिति के द्वारा श्री हरीश सिंह पुत्र लाल सिह निवासी ग्राम चौरा द्वारा नामित कन्सलटेंट की उपस्थिति में ग्राम भैरूचौब्ट्टा में 2.864 है0 भूमि पर खनन कार्य के लिए पर्यावरणीय कार्ययोजना का अवलोकन किया गया जिस पर अवलोकन उपरान्त अध्यक्ष महोदय सम्बन्धित को यह निर्देश दिये गये कि आवेदक द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से वृक्षारोपण किया जायेगा, साथ ही सम्बन्धित को यह निर्देश दिये गये कि कच्ची रोड में पानी टैकर से पानी का छिडकाव करेंगे।

11. अध्यक्ष महोदय द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से सभी आवेदकों को यह निर्देश दिये गये कि वह कम से कम 02 है0 भूमि पर वनीकरण का कार्य करेंगे। बैठक में उपस्थित उप प्रभागीय वनाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा कमियों के निराकरण हेतु सहमति जताई गयी साथ ही घोडे एवं खच्चरों का बीमा कराये जाने के निर्देश दिये।

12. अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त कन्सलटेंट व आवेदको से बैठक के दौरान चर्चित बिन्दुओं को अपने ई0एम0पी0 में सम्मिलित कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति (DEAC) द्वारा उक्त प्रस्तुतीकरण हेतु 17 प्रकरणों में से 09 पर कमियों के निराकरण उपरान्त आगामी बैठक में चर्चा करते हुए शेष प्रकरणों पर भी प्रस्तुतीकरण हेतु विचार विर्मश किया जायेगा।

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों का आभार व्यक्त कर आगामी बैठक दिनांक 28.06.2017 एवं 29.06.2017 को प्रातः 11.00 जिला कार्यालय के सभागार में आयोजित किये के निर्देश देते हुए बैठक सम्पन्न की गयी।

12/06/17

सचिव,
जिलास्त0वि0आ0स0(DEAC)
जनपद बागेश्वर।

अनुमोदित।

14/6/17

अध्यक्ष,
जिलास्त0वि0आ0स0(DEAC)
जनपद बागेश्वर।

कार्यालय जिला स्तरीय विशेषज्ञ आकंन समिति (DEAC) बागेश्वर।

संख्या 1165 /छब्बीस–वन/ 2016–17 दिनांक 14 जून, 2017

प्रतिलिपि– 1–जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– उपस्थित सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– कार्यालय प्रति।

सचिव,
जिलास्त0वि0आ0स0(DEAC)
जनपद बागेश्वर।